मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 (श्रावण 2, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 7 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2007-2008, तथा

(ख) मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2000-दस-3, दिनांक 30 जून, 2009,
पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, दीपक सक्सेना, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जाब कार्ड धारी मजदूरों को प्रदाय करने हेतु सामग्री खरीदी में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत खरीदी गई सामग्री में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड के तत्कालीन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के कनावर विद्यालय में पदस्थ शिक्षाकर्मी द्वारा अध्यापन कार्य न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम देवरान में दलित युवक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह, श्री अजय सिंह, "राहुल भैया", सदस्य, सीहोर जिले की कृषि सहकारी समिति झाल पिपली की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री परसराम मुदगल, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, मुरैना में अवैध रेत ले जा रहे ट्रेक्टर द्वारा कुचलने से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य, सागर जिले के खुरई नगर की जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान राशि स्वीकृत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में नकली घी एवं सिंथेटिक दूध की बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री आरिफ अकील, पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसूताओं की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के अनेक मण्डियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री अजय सिंह, "राहुल भैया", सदस्य छिन्दवाड़ा जिले के दक्षिण वन मण्डल सौंसर अंतर्गत वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री राधेश्याम पाटीदार, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, मंदसौर के राकोंदा गांव में पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की दुकानें चलाई जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द के सरपंच के पति द्वारा कमीशन खोरी से तंग होकर आत्महत्या किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, आरिफ अकील, सदस्य, पन्ना जिले के थाना सिमरिया में एक महिला के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, धार जिले के धामनोद अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री पारस सकलेचा "दादा", पांचीलाल मेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पाठ्यक्रम बदले जाने से परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम शोभापुर में एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल व आसपास के क्षेत्रों में दूध की कमी होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, श्री भंवर राजा मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, दतिया के थानों में बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य, श्योपुर जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा नगर पालिक निगम द्वारा सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मंडला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव से मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बेहटा निवासी एक महिला के साथ सामूहिक क बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम नौढिया में आदिवासी एवं हरिजनों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर स्थित महिला अस्पताल में विद्युत कटौती से उपचार में व्यवधान होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में उदय प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले में फ्लोराईड युक्त पेयजल पीने से विकलांगता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, इन्दौर के ग्राम गारी पिपलिया के दलित परिवारों को भूमि से बेदखल किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर नगर की कालोनियों में गंदगी का साम्राज्य होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, पटेरा कटनी मार्ग पर टोल टैक्स के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(33) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य, गुना जिले के बजरंगगढ़ स्थित डाईट भवन के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) सर्वश्री आरिफ अकील, अजय सिंह "राहुल भैया", डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर शासन द्वारा ध्यान न दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री राकेश शुक्ला, सदस्य, भिण्ड जिले के मेहगांव स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले में जनपद पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, भोपाल के गांधी नगर थानान्तर्गत एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री बाला बच्चन सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के कन्हरगांव बांध के निर्माण कार्य में अनियमितता होने से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि (1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

25 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र ग्वालियर से भितरवार, नरवर, करेरा, पिछोर से वसई तक रेलवे लाईन बिछाई जाय".

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि ग्वालियर स्थित जे.सी.मिल के बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों की लंबित रशि का भुगतान 3 महीने की समय सीमा के भीतर राज्य शासन कराए और उन मजदूरों को रोजगार के लिये भी कोई योजना शीघ्र बनाई जाय".

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

25 मि. "सदन का यह मत है कि बुन्देलखंड के टीकमगढ़ या छतरपुर जिले में पृथक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय".

(4) सर्वश्री शरद जैन "एडवोकेट", नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), नारायण प्रजापति, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में निवासरत प्रजापति समाज को प्रदेश के 10 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है इसे बढ़ाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय".

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वर्ष 1989 में आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य से विस्थापित हुये नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में पुनर्वासित किये जाने हेतु आवश्यक सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप पुनर्वासन सुनिश्चित किया जावे".

6. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) दिनांक 8 जुलाई, 2009 को किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 383) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 9 जुलाई, 2009 को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 606) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 जुलाई, 2009